


FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला वित्तौड़गढ़

वनाग

किरम मुकदमा- पत्थरगढी नं. रान् 202

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तारीख में जारी हुए
<p>23/2/23</p>	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>बीला कुमारी जाट</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>नाडाखेडा</u> पटवार मण्डल <u>नाडाखेडा</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ... <u>५९७</u></p> <p>रकबा <u>५</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हे नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>107</u> - अक्षरे <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुरार बिना किसी के कब्जे काश्त में देखल दिये मौजा <u>नाडाखेडा</u> पटवार मण्डल <u>नाडाखेडा</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>५९७</u></p> <p>रकबा <u>५</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकममल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>02/01/23</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौरल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी डूंगला </p>	